Dy. No. 07/Adg/BBM
04/01/16

By Fax/Speed Post

F.No.A.12018/18/2012.AD.III.B
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF REVENUE
CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS

Gr. Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place
New Delhi-66, the 21st December, 2015.

To

All the Chief Commissioners of Central Excise/Customs under CBEC
All the Directorate Generals under CBEC

Subject: Framing of Recruitment Rules for the post of Senior Translator and Junior Translator under CBEC, Department of Revenue -reg

****

Sir/Madam,

I am directed to say that the Recruitment Rules are to be review and amended after the implementation of the 6th CPC and therefore Recruitment Rules for the post of Senior Translator and Junior Translator have been accordingly reviewed/amended based on the guidelines issued by the DOPT and in consultation with UPSC to make them consistent with Model RRs of DOPT.

2. After careful consideration, the Board has framed the RRs for the post of Executive Assistant and the Gazette notification was issued vide GSR 975(E) dated 16.12.2015. A copy of the Gazette Notification is enclosed herewith for your kind information and necessary action. It can also be downloaded from the website: egazette.nic.in

Encls: As above

Yours faithfully,

22.12.15
(Rajpal Singh)
Under Secretary to the Government of India.
Tel/Fax: 26162780

Copy to: (1) DG, HRD for information and record (ii) US (RR), UPSC, New Delhi w.r.t. letter F.No.3/8(13)/2015-RR dated 29.06.2015.(iii) Webmaster, DG, and Systems for uploading the same on the website.

22.12.15
(Rajpal Singh)
Under Secretary to the Government of India.
Tel/Fax: 26162780

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 788] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 16, 2015/अग्रहायण 25, 1937

No. 788] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 16, 2015/ AGRAHAYANA 25, 1937

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 2015

सा.का.नि.975 (अ)— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और ज्येष्ठ हिन्दी अनुवादक भर्ती नियम, 2008 तथा कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक नियम, 2004 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड में ज्येष्ठ अनुवादक और कनिष्ठ अनुवादक (समूह 'ख' अराजपत्रित) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :**

(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड, ज्येष्ठ अनुवादक और कनिष्ठ अनुवादक (श्रेणी 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय पद) भर्ती नियम, 2015 है।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।

2. विद्यमान भर्ती नियमों में विनिर्दिष्ट ज्येष्ठ हिन्दी अनुवादक और कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक के सभी पदों को इन नियमों के अधीन ज्येष्ठ अनुवादक और कनिष्ठ अनुवादक के रूप में पुन: पदाभिहित किए गए हैं और इन नियमों के प्रारंभ से पूर्व संबद्ध पदों में ऐसे व्यक्तियों द्वारा की गई सेवाओं को ज्येष्ठता और प्रोन्नति, आदि के प्रयोजन के लिए नियमित सेवा के रूप में गणना में लिया जाएगा। ऐसे अधिकारियों की ज्येष्ठता को अखिल भारतीय आधार पर बनाए रखा जाएगा और केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार नियत किया जाएगा;

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.** - उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता** : वह व्यक्ति :-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है ।

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. **शिथिल करने कि शक्ति** : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ज्येष्ठ अनुवादक	79* (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड–2 9300 रु. - 34800 रु. + ग्रेड वेतन 4600/- रु.	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती कि पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा ।
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा,	**प्रोन्नति:** वेतन बैंड - 2, 9300-34800 + ग्रेड वेतन 4200/- रुपए में ऐसे कनिष्ठ अनुवादक जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की है और जिन्होंने राष्ट्रीय उत्पाद-शुल्क, सीमा-शुल्क , और स्वापक अकादमी में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलता पूर्वक पूरा किया हो । **टिप्पण 1** : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा

			की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपने परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **टिप्पण 2:** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेडवेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी। **प्रतिनियुक्ति** : केन्द्रीय सरकार से ऐसे अधिकारी (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2; 9300-34800 रुपए + ग्रेड वेतन 4200/- रुपए या समतुल्य पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है; और (ख) जिसके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव है। किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा के माध्यम के रूप में रहा हो; किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अँग्रेजी में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर हिन्दी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में हो या परीक्षा के माध्यम के रूप में रहा हो; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में हिन्दी माध्यम से मास्टर डिग्री और डिग्री स्तर पर अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में हो या परीक्षा के माध्यम के रूप में रहा हो; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में अंग्रेजी माध्यम से मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर हिन्दी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा के माध्यम के रूप में रहा हो; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर हिन्दी और अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या दोनों में से एक परीक्षा के माध्यम के रूप में रहा हो और दूसरा अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो; और हिन्दी से अंग्रेजी तथा अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद कार्य का मान्यताप्राप्त डिप्लोमा या प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम या

			केन्द्रीय या राज्य सरकार के किसी कार्यालयों में, जिनके अंतर्गत भारत सरकार के उपक्रम भी हैं, अंग्रेजी से हिन्दी में और हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद कार्य का तीन वर्ष का अनुभव। **टिप्पण 1** : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2** : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3** : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले या (उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है) नियमित अधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनामान सहित एक श्रेणी में विलय कर दिया गया है और वहां यह लाभ केवल उन पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किए जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) 1. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क आयुक्त –अध्यक्ष 2. संबंधित निदेशालय का अपर महानिदेशक –सदस्य 3. सहायक आयुक्त या संयुक्त आयुक्त –सदस्य 4. संबंधित निदेशालय का निदेशक – सदस्य	प्रतिनियुक्ति पर राज्य सरकार के अधिकारी की नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
कनिष्ठ अनुवादक	158* (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड–2 9300 रु. - 34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200/- रु.	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)	**आवश्यक** :- किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अँग्रेजी में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर हिन्दी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में हो या परीक्षा के माध्यम के रूप में रहा हो; या

					टिप्पण 1 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखण्ड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षदीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में हिन्दी माध्यम से मास्टर डिग्री और डिग्री स्तर पर अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में हो या परीक्षा के माध्यम के रूप में रहा हो; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में अंग्रेजी माध्यम से मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर हिन्दी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा के माध्यम के रूप में रहा हो; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर हिन्दी और अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या दोनों में से एक परीक्षा के माध्यम के रूप में रहा हो और दूसरा अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो; और किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या संस्थान से हिन्दी से अंग्रेजी तथा अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद करने का डिप्लोमा या प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी कार्यालयों में जिनके अंतर्गत भारत सरकार के उपक्रम भी हैं हिन्दी से अंग्रेजी तथा अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद कार्य का दो वर्ष का अनुभव। **टिप्पण 1** : अर्हताए, अन्यथा सुअर्हित अभ्यार्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाऐं कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2** : अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित

						जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती टिप्पण :- पदधारी की प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी पर या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेगी।	आवश्यक नहीं है

(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) 1. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क आयुक्त –अध्यक्ष 2. संबंधित निदेशालय का अपर महानिदेशक –सदस्य 3. सहायक आयुक्त या संयुक्त आयुक्त -सदस्य 4. संबंधित निदेशालय का निदेशक – सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए – 12018/18/2012 – प्रशा. – 3 (ख)]

राजपाल सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

(Central Board of Excise and Customs)

New Delhi, the 16th December, 2015

G.S.R.975 (E).—In the exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of the Senior Hindi Translator Recruitment Rules,2008 and Junior Hindi Translators Recruitment Rules, 2004 except as respects things done or omitted to be done before the supersession, the President hereby makes the following rules for regulating the method of recruitment to the posts of Senior Translator and Junior Translator (Group 'B' Non-Gazetted) in the Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise and Customs, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Department of Revenue, Central Board of Excise and Customs, Senior Translator and Junior Translator (Group 'B', Non-Gazetted, Non Ministerial Posts) Recruitment Rules, 2015 .

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Initial Constitution. – All the posts of Senior Hindi Translator and Junior Hindi Translator mentioned in the existing recruitment rules are hereby re-designated as Senior Translator and Junior Translator under these rules and the services rendered by such persons in the respective posts before commencement of these rules shall be taken into account as

regular service for the purpose of seniority and promotion etc. The seniority of such officers shall be maintained on all India basis and will be fixed as per orders or instructions on seniority issued by the Central Government from time to time.

3. **Number of Posts, Classification, pay band and grade pay or scale of pay**.- The number of the said posts, their classification, pay band and grade pay or the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

4. **Method of Recruitment, age limit, other qualifications, etc.** - The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. **Disqualification**. - No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if it is satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing , exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax**. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provision of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving**.- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxations of age limits and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex- Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Pay band and grade pay	Whether Selection post or Non-Selection post	Age limit for Direct Recruitment	Educational and other qualification required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.Senior Translator	79* (2015) * Subject to variation dependant on workload	General Central Service Group 'B', Non Gazetted Non- Ministerial	Pay Band-2 Rs. 9300-34800 plus Grade Pay of Rs.4600/-	Selection	Not Applicable	Not applicable

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or deputation/absorption and percentage of posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion /deputation / absorption, grades from which promotion/ deputation /absorption to be made.
(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable	Not applicable	By promotion, failing which by deputation.	**Promotion:** Junior Translators in Pay Band -2 , Rs 9300- 34800/- with Grade Pay of Rs, 4200/- with five years regular service in the grade and successfully completed the training of two weeks in the National Academy of Customs, Excise and Narcotics. **Note 1**: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered

			provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their junior who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2**: For the purpose of computing minimum qualifying service for Promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission. **Deputation:** Officers from the Central Government:- (A) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with five years regular service in the Grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Pay Band 2, Rs. 9300-34800/- with Grade Pay Rs 4200/- or equivalent in the parent cadre or Department; and (B)Possessing the following educational qualification and experience: Master's degree from a recognised University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level, Or Master Degree from a recognised University in English with Hindi as a Compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level. Or Master Degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi Medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of Examination at the degree level. Or Master's degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; Or Master Degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English with Hindi and English as Compulsory or elective subject or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at the degree level. And Recognised diploma or certificate course in translation from Hindi to English and vice versa or three years' experience or translation work from Hindi to English and vice versa in a Central or State Government office, including Government of India Undertakings. **Note 1:** The Departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by

			promotion. **Note 2:** Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organization or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications. **Note 3:** For the purpose of appointment on deputation basis. The service rendered on a regular basis by an officer prior to 01.01.2006(the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendation has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding Grade Pay or Pay Scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale. And where this benefit will extend only for the post(s), for which that grade pay or pay scale is the normal replacement Grade without any up gradation.

If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group "B" Departmental Promotion Committee(For considering promotion): 1. Commissioner of Central Excise and Customs – Chairman 2. Additional Director General of concerned Directorate –Member 3. Assistant Commissioner or Joint commissioner –Member 4. Director of the concerned Directorate - Member	Consultation with Union Public Service Commission is necessary for appointment of the State Government officer on deputation.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. Junior Translator	158* (2015) * Subject to variation dependant on workload	General Central Service, Group 'B', Non Gazetted/ Non-Ministerial.	PB-2 Rs. 9,300-34,800/- plus Grade Pay Rs.4,200/-	Not Applicable	Not exceeding 30 years (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) **Note:-** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub – Division of Chamba	**Essential:** Master's degree from a recognised University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level OR Master's degree from a recognised University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level OR Master's degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of a

						District of Himachal Pradesh, Adaman Nicobar Islands or Lakshdweep).	examination at the degree level; OR Master's degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of a examination at the degree level ; OR Master's Degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as compulsory or elective subjects or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at degree level; and Diploma or Certificate course from any recognised Board or institute in translation from Hindi to English and vice versa or two years' experience of translation work from Hindi to English and vice versa in a Central or State Government office, including Government of India Undertaking. **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority for reasons to be recorded in writing in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2** : The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Staff Selection Commission or

						Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable	Two years	**Direct recruitment** **Note.-** "Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government.	Not necessary.

(12)	(13)
Group "B" Departmental Promotion Committee(for considering confirmation): 1 Commissioner of Central Excise and Customs - Chairman 2 Additional Director General of concerned Directorate –Member 3 Assistant Commissioner or Joint commissioner –Member 4. Director of the Concerned Directorate -Member	Consultation with UPSC is not necessary.

[F. No.A.12018/18/2012 Ad III B]

RAJPAL SINGH, Under Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.